न्या० विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६, रायबरेली।

फौजदारी वाद संख्या–४९३/२०१२

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुशील सिंह आदि।

१२.०७.२०१८–

पुकार करायी गयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी उपस्थित हैं। अभियुक्तगण भी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। आरोप पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियुक्त सियाराम की पत्रावली पूर्व में पृथक की जा चुकी है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों से अभियुक्तगण सुशील सिंह एवं संजय सिंह के विरूद्ध धारा–३०७ आई०पी०सी० तथा धारा २/३ यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में आरोप विरचन का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाये।

दिनाँकः–१२.०७.२०१८

(सुदीप कुमार जायसवाल)
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६
रायबरेली।

बादहू–

अभियुक्तगण सुशील सिंह एवं संजय सिंह को धारा– ३०७ आई०पी०सी० एवं धारा २/३ यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त विरचित आरोप से इन्कार किया व विचारंण की माँग किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक १२.०८.२०१८ को पेश हो। गवाहान तलब हों।

दिनाँकः–१२.०७.२०१८

(सुदीप कुमार जायसवाल)
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६
रायबरेली।

न्या० विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६, रायबरेली।

फौजदारी वाद संख्या–४९३/२०१२

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुशील सिंह आदि।

मु०अ०सं०–७२/२००६

धारा–३०७ आई०पी०सी० एवं

धारा–२/३यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट

थाना–कोतवाली, जिला–रायबरेली।

आरोप

मै सुदीप कुमार जायसवाल, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६, रायबरेली आप अभियुक्तगण सुशील सिंह एवं संजय सिंह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनाँक ०२.१०.२००६ को समय ३.३५ए०एम० वहद स्थान जी०आई०सी० मैंदान के अन्दर बने कुंए के पास थाना कोतवाली नगर जिला रायबरेली में आप लोगों ने एकबारगी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। उक्त अपराध भारतीय दंण्ड संहिता की धारा ३०७ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि दिनाँक ०२.१०.२००६ के पूर्व जनपद रायबरेली में भिन्न–भिन्न तिथियों, समय व स्थान पर आप लोगों ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ एक गैंग बनाकर अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु समाज विरोधी क्रिया कलापों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर विभिन्न अपराध करते रहे। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो कि धारा २/३ उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

दिनाँकः–१२.०७.२०१८

(सुदीप कुमार जायसवाल)
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६
रायबरेली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

दिनाँकः–१२.०७.२०१८

(सुदीप कुमार जायसवाल)
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६
रायबरेली।